अतिआवश्यक

संख्याःई.डी.एन.एच(4)(प्रा.)1/2016(अवार्ड)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,हिमाचल प्रदेश ।

दिनांकः शिमला– 171001, 19 मई,2016

सेवा में

समस्त उप निदेशक(उच्च शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश ।

समस्त उप निदेशक(प्रार0 शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः वर्ष 2016 के राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार बारे ।

महोदय,

जैसा कि आप को विदित ही है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर प्रतिभाशाली अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार से सम्मानित करती है । इस सन्दर्भ में आप को सूचित किया जाता है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी वर्गों के पात्र अध्यापकों के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कारों के मामलों का निपटारा जिला स्तर पर गठित की गई कमेटी द्वारा किया जायेगा । जिला स्तर की कमेटी प्रत्येक श्रेणी के पात्र दो–दो शिक्षकों के नाम प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर गठित की गई कमेटी को 15 जून, 2016 तक प्रेषित करेंगे ।

अतः इस सन्दर्भ में आप को निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 2016 के लिये राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु के सभी पात्र अध्यापक /अध्यापिकाओं के मामलों का सम्प्रेषण 15 जून, 2016 तक निर्धारित प्रपत्र पर सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित (पृष्ठ संख्या 1 से 5 के अनुसार) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आगे पर वांच्छित कार्यवाही की जा सके । उक्त निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त मामलों पर विभाग द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्व किसी प्रकार का न्यायिक मामला/छानबीन लम्बित तो नहीं है, मामले के साथ ही प्रेषित करें ।

आप को जैसा कि विदित ही है कि निदेशालय द्वारा आप को विस्तृत जानकारी पहले ही दी जा चुकी है , के अनुसार ही जिला स्तरीय कमेटी गठन कर निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों का चयन जिला स्तर पर श्रेणीवार निर्धारित मापदण्डों के आधार अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों का चयन जिला स्तर पर श्रेणीवार निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन कर हर श्रेणी के दो –दो शिक्षकों के नाम 50 प्रतिशत से अधिक अंक वालों के नाम पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सील बन्द लिफाफे में मामले के साथ प्रेषित करें। (नियमों की प्रतिलिपि संलग्न है) मामले निर्धारित मापदण्डों के आधार पर न हो तो उन मामलों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक शिमला–171001, 19 मई,2016

प्रतिलिपि:

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. निदेशक(उच्च शिक्षा)हिमाचल प्रदेश शिमला–1 को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि मापदण्डों के आधार पर कमेटी के गठन हेतु समस्त जिलों के उप निदेशक(उच्च शिक्षा)को आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें ।
3. समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी हिमाचल प्रदेश को इस आश्य के साथ प्रेषित है कि वह सभी राष्ट्रीय /राज्य पुरस्कार मामले समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए जिला स्तरीय कमेटी (उपनिदेशक/सदस्य सचिव) को निर्धारित समयावधि में भेजना सुनिश्चित करें ।

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या शिक्षा-यू (जी-2)प्रा०-अवार्ड/ 9832-10100
कार्यालय, उपनिदेशक प्रा० शि० ऊना, जिला ऊना
दिनांक :- 28-5-16

समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक/इंचार्ज/रा० व० मा० पा०/रा० उ० पा०/रा० मा० पा०/ जिला ऊना तथा समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला ऊना को पत्र की छायाप्रति मूल रूप में इस कथन के साथ भेजी जा रही है कि अध्यापकों के राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार के मामले दिनांक 10-06-16 तक इस कार्यालय में उपलब्ध करवायें।

इसे अतिआवश्यक समझें।

उप निदेशक प्रा० शिक्षा
ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)